पोलिटेकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – 2019

Polytechnic Entrance Competitive Examination – 2019

मार्ग–निर्देशिका

2019

महत्वपूर्ण तिथियाँ	
ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि	**28.03.2019**
ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया समाप्ति की तिथि	**28.04.2019**
परीक्षा की तिथि	**26.05.2019**

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम–तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची – 10

Inquiry No.: 9264473893

Board's Website: - http://jceceb.jharkhand.gov.in

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण		पृष्ठ सं.
1.	परिचय	–	3
2.	अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम	–	3
3.	संस्थानों/शाखाओं/उपलब्ध सीटों की जानकारी	–	3
4.	प्रवेश हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता	–	3
5.	आवासीय अर्हता	–	3
6.	शारीरिक योग्यता	–	3
7.	आयु सीमा	–	3 – 4
8.	संस्थान में नामांकन हेतु शुल्क	–	4
9.	आरक्षण	–	4 – 5
10.	पोलिटेकनिक प्रवेश प्र. परीक्षा – 2019 के प्रश्न पत्रों के प्रकार	–	5
11.	प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन	–	5
12.	परीक्षा केन्द्र	–	5
13.	आवेदन करने का तरीका	–	5 – 6
14.	परीक्षा शुल्क	–	6
15.	आवेदन पत्र भरने के लिये आवश्यक निर्देश	–	6
16.	प्रवेश पत्र	–	6
17.	मेधा सूची का निर्माण	–	6
18.	पुर्नमूल्यांकन एवं पुर्नयोग	–	6 – 7
19.	प्रथम् साक्षात्कार	–	7
20.	द्वितीय साक्षात्कार	–	7
21.	साक्षात्कार संबंधी सभी नियमों एवं वांछित प्रमाण–पत्रों की जानकारी	–	7
22.	शाखा एवं संस्थान परिवर्त्तन	–	7
23.	साक्षात्कार शुल्क	–	7
24.	अन्य आवश्यक सूचनाएँ	–	7 – 8
25.	साक्षात्कार/नामांकन के संबंध में आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएँ	–	8
	ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु चरणबद्ध निदेश	–	9 – 10
	"झारखण्ड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा एवं पहचान	–	11 – 12
	झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का प्रारूप	–	13
	जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप–(SC/ST) कोटि के लिए	–	14 – 15
	जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप (BC – I/ BC – II) कोटि के लिए	–	16 – 17
	Income & Assets प्रमाण– पत्र का प्रारूप (Economical Weaker Section) के लिये	–	18

पोलिटेकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – 2019

Polytechnic Entrance Competitive Examination - 2019

मार्ग–निर्देशिका/ Prospectus

1. **परिचय :** झारखण्ड राज्य के राजकीय, गैर–राजकीय एवं पी॰पी॰पी॰ मोड पर संचालित डिप्लोमा अभियंत्रण संस्थानों तथा झारखण्ड गर्वनमेंट टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर, राँची/दुमका में अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सभी शाखाओं के शैक्षणिक सत्र 2019–20 के प्रथम सेमेस्टर/प्रथम् वर्ष में नामांकन, पोलिटेकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – 2019 के परीक्षाफल के आधार पर तैयार की गयी मेधा सूची से अभ्यर्थियों के मेधा–सह–इच्छा के आधार पर होगा। यह प्रतियोगिता परीक्षा, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित की जायेगी।

2. **अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम:** इसके अन्तर्गत राजकीय, गैर – राजकीय एवं पी॰पी॰पी॰ मोड पर संचालित डिप्लोमा अभियंत्रण संस्थानों तथा झारखण्ड गर्वनमेंट टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर, राँची/दुमका के अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सभी शाखाएँ सम्मिलित हैं।

3. **संस्थानों/शाखाओं/उपलब्ध सीटों की जानकारी:** सभी संस्थानों के अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम अन्तर्गत शाखावार एवं कोटिवार सीटों की उपलब्धता पर्षद के वेबसाइट के Homepage पर Downloads कॉलम में देखी जा सकती है। यह विवरणी शैक्षणिक सत्र 2018–19 के आधार पर आधारित है जिसमें उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, राँची तथा उद्योग विभाग, राँची के आदेशानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। अद्यतन सीटों की जानकारी साक्षात्कार के समय दी जाएगी।

4. **प्रवेश हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता :**

(1) आवेदक को माध्यमिक/10वीं/समकक्ष परीक्षा में 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(2) माध्यमिक/10वीं/समकक्ष परीक्षा में परीक्षा वर्ष में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते साक्षात्कार तिथि के पूर्व उन्हें उत्तीर्णता प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा।

5. **आवासीय अर्हत्ता :** प्रवेश परीक्षा में वे ही आवेदक भाग ले सकतें हैं जो झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी या स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राज्यभाषा विभाग ने अधिसूचना ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का॰ – 3198, दिनांक 18.04.2016 में **स्थानीय निवासी** को परिभाषित किया गया है। सुलभ प्रसंग हेतु अधिसूचना की प्रति इस मार्ग–निर्देशिका के अनुसूची–'क' में अंकित की गई है तथा इसे पर्षद के वेबसाइट के Homepage पर Act & Circular कॉलम में भी देखा जा सकता है।

आवेदक को अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी {झारखण्ड राज्य के अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त} द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। "स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र" का प्रपत्र इस मार्ग–निर्देशिका के अनुसूची – 'ख' में देखा जा सकता है।

6. **शारीरिक योग्यता :** साक्षात्कार के माध्यम से अनुशंसित अभ्यर्थियों को संस्थान में नामांकन के समय, निबंधित चिकित्सक द्वारा निर्गत **स्वस्थता प्रमाण–पत्र** उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा अयोग्य होने की स्थिति में संस्थान द्वारा नामांकन नहीं लिया जाएगा।

7. **आयु–सीमा :** अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु–सीमा निर्धारित नहीं है। केवल खनन अभियंत्रण शाखा में

प्रवेश हेतु परीक्षा वर्ष के 1 जुलाई को न्यूनतम उम्र 17 वर्ष होना आवश्यक है।

8. **संस्थान में नामांकन हेतु नामांकन शुल्क :** संस्थान में नामांकन हेतु नामांकन शुल्क की राशि के संबंध में जानकारी, साक्षात्कार के समय, पर्षद या/और संबंधित संस्थान द्वारा दी जायेगी।

9. **आरक्षण :**

9.1 **जाति आधारित आरक्षण :** राजकीय पोलिटेकनिक (महिला सहित), पी0पी0पी0 मोड में संचालित पोलिटेकनिक एवं गैर-राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में नामांकन हेतु अनुशंसा के लिये पर्षद द्वारा झारखण्ड राज्य में लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा।

परन्तु आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले अभ्यार्थियों को विहित प्रपत्र में ही सक्षम पदाधिकारी {झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त} द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र, साक्षात्कार/नामांकन के समय, मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य अधिकारी द्वारा निर्गत {झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त को छोड़कर} जाति प्रमाण-पत्र पर आरक्षण का दावा विचारणीय नहीं होगा (संदर्भ : का॰ प्र॰सु॰ तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 7/आ0नि0-018-10/2003 का0 7072 दिनांक 30.12.2003) तथा उनका आरक्षण का दावा रद्द कर दिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में मान्यता दी जायेगी। अनुसूचित जनजाति कोटि के लिये निर्धारित सीटों में से न्यूनतम 2% सीटें आदिम जनजाति समूह के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है, बशर्त्ते कि वे आवश्यक न्यूनतम अर्हत्ता को पूरा करते हों तथा अनुसूचित जनजाति कोटि की मेधा-सूची में स्वतः नहीं आते हों। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति कोटि के आरक्षण में क्षैतिज रूप से उपलब्ध होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थियों को का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक 7/जाति-19-11/2008 का0-10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। जाति प्रमाण-पत्र का विहित प्रपत्र मार्ग-निर्देशिका के अनुसूची-'ग','घ' एवं 'ड.' में देखा जा सकता है।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0- 5555 दिनांक 28.06.2016 के आलोक में 2 प्रतिशत सीट आदिम जन जातियों के लिये क्षैतिज आरक्षण के रूप में उपलब्ध होगा जो अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सीटों से विनियमित होगा।

नोट : आरक्षण के दावे के संबंध में अपने कोटि के बारे में संतुष्ट हो लें। यदि कोई संशय हो तो अपने अंचल/अनुमण्डल कार्यालय से सम्पर्क कर लें

9.1 **सैन्य कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटें (एस॰एम॰क्यू॰) :** "A Guide to Resettlement of Ex-Service Men 1984" Ministry of Defence, Directorate General Resettlement में दिये गये निर्देशों के अनुसार अधिसूचित सैन्यकर्मियों को ही यह सुविधा दी जायेगी।

सैन्य कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नांकित होगा :

1. कार्रवाई में मारे गए सैन्यकर्मी के विधवा/आश्रितों
2. कार्रवाई में अपंग हुए सेवारत तथा सेवा निवृत सैन्यकर्मी के आश्रितों
3. शांतिकाल में सैन्य सेवा के दौरान मरने वाले सैन्यकर्मी के विधवा/आश्रितों
4. शांति काल में सैन्य सेवा के दौरान अपंग हुए सैन्यकर्मी के आश्रितों
5. वीरता पदक प्राप्त सेवा निवृत सैन्यकर्मी तथा सेवारत सैन्यकर्मी के आश्रितों
6. सेवा निवृत सैन्यकर्मी के आश्रितों
7. सेवारत सैन्यकर्मी के आश्रितों

9.2.1 सैन्य कर्मचारी कोटा हेतु आरक्षित सीटों की सुविधा प्राप्त करने हेतु सेवारत सैन्यकर्मी/सेवा निवृत सैन्यकर्मी के आश्रितों, दिवंगत सैन्यकर्मी की विधवा तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ साक्षात्कार/नामांकन के समय प्रस्तुत करना आदेशात्मक है :-

क) झारखण्ड राज्य के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र

ख) सक्षम सैनिक अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण–पत्र (सेवारत सैनिक कर्मियों/अधिकारियों के लिये) या जिला सैनिक परिषद् द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण–पत्र (सेवा निवृत सैन्य कर्मियों के लिये)

ग) सेवा मुक्ति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)/पेंशन बुक।

9.3 **शारीरिक रूप से विकलांगों उम्मीदवारों हेतु आरक्षण** : अभियंत्रण डिप्लोमा संस्थानों में शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों के लिए सीटें आरक्षित हैं। शारीरिक रूप से विकलांग का अभिप्राय होगा वैसे आवेदक जो मूक या बधिर या शारिरिक विकलांग या सभी साथ हो तथा जिनके शरीर का निचला हिस्सा एवं उपरी हिस्सा या दोनों मिलाकर कम से कम 40 प्रतिशत आंशिक असमर्थ हो। शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों को एक पूर्ण आकार का अपना फोटो देना होगा तथा जिला के असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण–पत्र की मूल प्रति भी साक्षात्कार के समय देना होगा। ऑनलाईन आवेदन में सिर्फ अपना विकलांगता के प्रकार स्पट करें ।

9.4 अल–कबीर पोलिटेकनिक, मानगो, जमशेदपुर में मुस्लिम समुदाय कोटा (एम॰सी॰क्यू॰) के लिये 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।

9.5 **निःशुल्क शिक्षा योजना** : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप), नई दिल्ली के प्रावधानानुसार प्रत्येक स्वीकृत संस्थान के प्रत्येक शाखा के कुल सीटों के 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों पर निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के तहत वैसे अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जायेगी, जिनके पिता/माता/अभिभावक का सभी श्रोतों से वार्षिक आय 6 लाख से कम है। इसके लिये उन्हें झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आय प्रमाण–पत्र एक (1) साल के अन्दर का निर्गत होना अनिवार्य है। इस योजना के तहत सभी सीटें अनारक्षित होगी, अर्थात् इन सीटों का आरक्षण से कोई संबंध नहीं होगा तथा सीटों का आबंटन मेधा–सह–इच्छा के आधार पर किया जायेगा।

10. **पोलिटेकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – 2019 के प्रश्न पत्रों के प्रकार** : प्रश्न–पत्र द्विभाषी यथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में होंगे। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार और बहु–विकल्प प्रकृति के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक देय होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जायगी। एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प देने पर उन्हें अमान्य कर दिया जाएगा तथा इसकी गणना गलत उत्तर के अन्तर्गत की जायेगी।

पोलिटेकनिक प्रवेश परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र के विषय, परीक्षा की अवधि, पूर्णांक, परीक्षा का स्तर इत्यादि निम्नलिखित है :

परीक्षा की अवधि–2 घंटे 30 मिनट

(पूर्वाह्न 10.00 बजे से 12.30 बजे अपराह्न तक)

प्रश्न–पत्र के विषय	पूर्णांक	परीक्षा का स्तर	परीक्षा की तिथि
भौतिक विज्ञान	50	माध्यमिक	**26.05.2019 (रविवार)**
रसायन विज्ञान	50		
गणित	50		

नोट : **किसी अपरिहार्य परिस्थिति में परीक्षा की तिथि में झारखण्ड सरकार/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा फेर–बदल किया जा सकता है।**

11. **पोलिटेकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन** : पोलिटेकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा–2019 एक चरण में आयोजित की जायेगी।

12. **परीक्षा केन्द्र** : परीक्षा राँची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, चाईबासा, बोकारो एवं डाल्टेनगंज जिला मुख्यालय स्थित परीक्षा केन्द्रों में होगी।

13. **आवेदन करने का तरीका**: आवेदक को ऑनलाईन तरीके से आवेदन करना है।

पर्षद के वेबसाईट पर http://jceceb.jharkhand.gov.in पर "online Application for PECE – 2019" पर Click कर दिये गये दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन करते समय माध्यमिक परीक्षा का अंक पत्र (उत्तीर्णता प्राप्त कर लिये हों तो), स्कैन किया हुआ हाल का फोटोग्राफ एवं स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर एवं स्कैन किया हुआ अंगूठे का निशान तैयार रखें। किसी भी अनिवार्य कण्डिका को खाली नहीं छोड़ें। **आवेदन पत्र का प्रिंट आउट पर्षद कार्यालय को नहीं भेजना है।** उसकी तीन–चार प्रिंट आउट रख लें, जिसकी भविष्य में जरूरत पड़ सकती है।

14. **परीक्षा शुल्क :** सामान्य/पिछड़ी जाति – I/पिछड़ी जाति – II कोटि के आवेदकों को ₹ 650/– एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के महिला आवेदकों को ₹ 325/– परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है, जो अप्रतिदेय (non refundable) होगा।

ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत परीक्षा शुल्क जमा करने का तरीका :–

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय सारी जानकारियाँ समर्पित करने के उपरान्त परीक्षा शुल्क, पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन जमा किया जा सकता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग की सुविधा दी जायेगी।

15. **आवेदन–पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश :** आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन–पत्र भरने के पूर्व मार्गनिर्देशिका को भली–भाँति पढ़ लें। गलत या अपूर्ण सूचना देने पर आवेदन को अस्वीकार/रद्द किया जा सकता है। आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्त्तन बाद में अनुमान्य नहीं होगा। फोटोग्राफ रंगीन होना चाहिए तथा चेहरे के साथ–साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। फोटोग्राफ संपादित (Edited) नहीं होना चाहिए अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

16. **प्रवेश पत्र :** निर्धारित तिथि तक प्राप्त, पूर्ण रूप से भरे हुए, आवेदन–पत्र ही स्वीकार किए जायेंगे तथा परीक्षा में बैठने हेतु प्रवेश पत्र वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन डाउनलोड करने का विकल्प दिया जायेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी का नाम, स्कैन फोटोग्राफ, जन्मतिथि, लिंग, परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा केन्द्र, पता, अनुक्रमांक एवं उनका आरक्षण कोटि दर्ज रहेगा। ऑनलाईन प्रवेश पत्र परीक्षा की तिथि के चार (4) दिन पूर्व वेबसाईट के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

प्रवेश–पत्र नहीं मिलने या फोटो/लिंग/कोटि में त्रुटि संशोधन हेतु पर्षद द्वारा परीक्षा से संबंधित जारी विज्ञापन जरूर देखें तथा उसमें दिये गये निर्देशों का पालन करें।

17. **मेधा सूची का निर्माण :** अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त मेधा सूची के साथ–साथ कोटि–वार मेधा सूचियों का निर्माण किया जायेगा। पोलिटेकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा–2019 में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जायेगा। इस प्रवेश परीक्षा में दो या दो से अधिक परीक्षार्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उनका मेधा क्रम निम्न प्रकार से निर्धारित किया जायेगा :

क्रम सं0	स्थिति	मेधा क्रम का निर्धारण
1.	प्राप्तांकों को जोड़ समान होने पर	गणित विषय मे प्राप्तांक के अनुसार
2.	स्थिति – 1 समान होने पर	भौतिक विज्ञान विषय में प्राप्तांक के अनुसार
3.	स्थिति – 1 एवं 2 समान होने पर	जिनकी जन्म तिथि पहले हो
4.	स्थिति – 1, 2, एवं 3 समान होने पर	प्रथम् नाम के अँग्रेजी वर्णाक्रमानुसार

18. **पुर्नमुल्यांकन एवं पुर्नयोग :** उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन, दुबारा जोड़ आदि का कोई प्रावधान

नहीं है और न ही इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार किया जायेगा।

19. **प्रथम् साक्षात्कार :** प्रथम् साक्षात्कार के संबंध में अद्यतन जानकारी झारखण्ड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के साथ–साथ पर्षद के वेबसाईट के माध्यम से दी जाएगी।

20. **द्वितीय साक्षात्कार :** प्रथम् साक्षात्कार के उपरांत यदि संस्थानों में सीटें रिक्त रह जाती हैं तो द्वितीय साक्षात्कार, उपर्युक्त की ही भांति, आयोजित किया जाएगा। इस साक्षात्कार में वैसे अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं, जो प्रथम् साक्षात्कार के माध्यम से अनुशंसित संस्थानों में या तो नामांकन ले चुके हैं या फिर शाखा/संस्थान परिवर्त्तन कराना चाहते हैं। इसकी सूचना झारखण्ड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं पर्षद के वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी।

21. साक्षात्कार सम्बंधी सभी नियमों एवं वांछित प्रमाण पत्रों की जानकारी हेतु सभी प्रमुख समाचार पत्रों के साथ–साथ पर्षद के वेबसाईट पर दी जायेगी।

22. **शाखा एवं संस्थान परिवर्तन:** इस तरह के सभी मामलों पर पर्षद की ओर से परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्णय लिया जाएगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

"नामांकन की प्रक्रिया समाप्ति के बाद प्रथम् वर्ष में संस्थान एवं शाखा परिवर्तन संबंधी किसी भी आवेदन पर संबंधित संस्थानों के प्रमुख्य द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा और न ही परीक्षा नियंत्रक के निर्णय के प्रतिकूल कार्रवाई की जाएगी।"

23. **साक्षात्कार शुल्क :** इसके संबंध में विस्तृत जानकारी साक्षात्कार हेतु प्रकाशित की जाने वाली विज्ञापन के माध्यम से दी जायेगी।

24. **अन्य आवश्यक सूचनाएँ :**

24.1 परीक्षा संबंधी सभी कार्यों का संचालन, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से परीक्षा नियंत्रक करेगें एवं उनके द्वारा लिये गये सभी निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगें।

24.2 **परीक्षा एवं साक्षात्कार संबधी सभी अद्यतन जानकारी हेतु पर्षद के वेबसाईट के सम्पर्क में रहे ।**

24.3 इस मार्ग–निर्देशिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी संस्थान विशेष के संबंध में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो उस संस्थान से सीधे सम्पर्क कर सकते हैं।

24.4 झारखण्ड सरकार/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को इस मार्ग–निर्देशिका में सन्निहित नियमों/प्रावधानों/सूचनाओं में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को झारखण्ड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों या/और पर्षद के वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी।

24.5 अभ्यर्थी को नामांकन के समय प्रतियोगिता परीक्षा का, वेबसाईट से डाउनलोड किया गया, ऑनलाईन प्रवेश–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अतः प्रवेश पत्र को संभाल कर रखें।

24.6 यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी, पहचान इत्यादि किसी भी समय असत्य पाया जाता है तो उनका अभ्यर्थित्व तुरंत निरस्त कर दिया जायेगा और उनके विरूद्ध झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी, जिसमें कारावास तक का भी प्रावधान है।

24.7 कानूनी समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में वाद के अंतिम निर्णय होने तक अभ्यर्थी को नामांकन से वंचित रखा जायगा। झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के पक्ष में निर्णय होने पर पर्षद द्वारा वाद पर हुए सभी खर्च, ब्याज के साथ अभ्यर्थी से वसूल किया जा सकता है।

24.8 **इस प्रतियोगिता परीक्षा के प्रक्रिया/आवेदन/आवंटन या अन्य किसी प्रकार के दावे से संबंधित विवाद केवल माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/राँची व्यवहार न्यायालय क्षेत्राधिकार के अन्दर ही दायर किए जायेंगे और वे ही मान्य होंगे।**

झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के परीक्षा नियंत्रक ही वैधिक व्यक्ति होगें जिनके माध्यम से पर्षद वाद दायर कर सकेगा अथवा पर्षद के विरूद्ध दायर वाद में पर्षद का पक्ष रखा जा सकेगा।

24.9 साक्षात्कार/नामांकन के समय अभ्यर्थियों को निम्नांकित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वांछित मूल प्रमाण–पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थियों को आवंटित सीट/शाखा/संस्थान में नामांकन नहीं लिया जायेगा।

1. माध्यमिक/10वीं/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र (मूल या औपबंधिक)।

2. **स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र**– झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल)/उपायुक्त द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र ।

3. **जाति प्रमाण पत्र**– झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल)/ उपायुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–14/जा0नि0–03–13/ 2015/का0, 1754 दिनांक 25.02.2019 के आलोक में नये प्रारूप में उपरोक्त सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत)।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थियों को का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक 7/जाति–19–11/2008 का॰–10007 दिनांक 29.08. 2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। <u>अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा।</u>

4. झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल)/उपायुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में जारी आय प्रमाण–पत्र (निःशुल्क शिक्षा योजना के तहत आरक्षित सीट का लाभ लेने की स्थिति में मान्य होगा)।

5. जिला अस्पताल के असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण–पत्र तथा एक फुल साईज (पूरे शरीर का) फोटोग्राफ (विकलांग कोटा का लाभ लेने की स्थिति में) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. एक (1) पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ।

7. पोलिटेकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा–2019 का प्रवेश पत्र। (यदि प्रवेश–पत्र गुम हो गया है तो सनहा की प्रति)

8. सीट आवंटन पत्र।

9. सक्षम सैनिक अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण–पत्र (सेवारत सैनिक कर्मियों/अधिकारियों के लिये) या जिला सैनिक परिषद् द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण–पत्र (सेवा निवृत सैन्य कर्मियों के लिये) तथा सेवा मुक्ति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)/पेंशन बुक {सैन्य कर्मचारी कोटा के अंतर्गत आरक्षित सीटों का लाभ लेने की स्थिति में}।

25. <u>साक्षात्कार के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएँ</u>

25.1 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन–पत्र भरने के उपरान्त ही, अपने दावे के समर्थन में प्रमाण–पत्र, संबंधित अंचल अधिकारी/अनुमंडल/उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त कर लें।

25.2 नामांकन के समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा Anti Ragging के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के आलोक में, सभी अनुशंसित अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को, अपने–अपने आवंटित संस्थानों में, निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र का प्रारूप पर्षद के वेबसाइट पर Downloads कॉलम में उपलब्ध है।

परीक्षा नियंत्र

आवेदन भरने हेतु चरणबद्ध निर्देश

आवेदन पत्र भरने के पूर्व मार्ग–निर्देशिका का भली–भाँति अध्ययन कर लें ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि आवेदन भरते समय न हो। आवेदन करते समय स्कैन किया हुआ हाल का रंगीन फोटोग्राफ, स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर एवं बायें हाथ का अंगुठे का निशान तैयार रखें।

पर्षद के वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in पर "Online Application for P.E.C.E. – 2019" link पर Click करें। Online आवेदन करने हेतु Online Application Process को तीन चरणों में विभक्त किया गया है :–

- New Registration
- Application Form Filling & Image Uploading
- Application Fee Payment
- प्रथम चरण – New Registration:- अपना नाम, Email Id, Mobile No., Password (Password :- पासवर्ड बनायें एवं अपने बनाये गये पासवर्ड को किसी के साथ साझा (Share) न करें अन्यथा पासवर्ड के दुरूपयोग की जवाबदेही आपकी स्वयं की होगी)एवं Security Code (दिये गये) को भर कर अपना Registration करें। Registration करने पर आपके Registerd Mobile में Registration No. एवं Email Id पर Email Id confirm करने का मेल आता है जिसे कन्फर्म करने पर पर प्रथम चरण पूर्ण हो जायेगा।
  Email ID एवं **Password को भविष्य के लिए सुरक्षित लिखकर रख लें। दुबारा Login करने के लिए Email Id एवं Password की आवश्यकता पड़ेगी।**

द्वितीय चरण –Application Form Filling :– Applicant Login में Click करें तथा Email Id, Password and Security Code दर्ज करते हुए Login करें तथा उपलब्ध आवेदन पत्र में माँगी गयी जानकारियों को भरें :–

- Personal Details :- जैसे अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, (The name of the Applicant and his/her Father's & Mother's name in the Application form **must exactly be the same** as registered in class 10th/equivalent qualifying Examination. No prefix/title such as Mr/Shri/Fr/Dr/Mrs/Smt/Col etc should be used.) लिंग, जन्मतिथि, Mobile No., Aadhaar Number, Father's/Mother's Occupation, Annual Family Income, of First Examination Centre City, Second Examination Centre City चुनें/दर्ज करें।
- **Reservation Detail-** Is Permanen/Local Resident of Jharkhand State, कोटि, Person with disability (PwD), Type of relevant SMQ, Muslim Minority

(Yes/No.), आदि भरना होगा। अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत यदि आदिम जनजाति समूह में आते हों तो, अनुसूचित जनजाति के साथ–साथ अपना आदिम जनजाति समूह में से अपना उप–जाति चुनना आवश्यक है।

- Educational details :- Academic Details भरना है, जैसे Name of the Board, Result Status, Marks System (Percentage/CGPA), Roll No., Passing Year, Max. Marks, Obtained Marks & Percentage of Marks दर्ज करें।
- **Comunication details** :- अपना Comunication Address भरें।
- **Image Uploading :-** JPG Format में स्कैन किया हुआ हाल का रंगीन फोटोग्राफ (15 KB to 40 KB), JPG Format में स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर (10 KB to 20 KB) एवं JPG Format में स्कैन किया हुआ बायें हाथ का अंगुठे का निशान (10 KB to 20 KB) Upload करें।

Disclaimer Clause को पढ़ें तथा चेक बॉक्स पर क्लिक करें तथा Save & Continue बटन पर Click करें। अब आपके द्वारा भरा गया आवेदन दिखाई पड़ेगा। अपने भरे गये व्यौरे को पुनः जाँच लें तथा पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लें। यदि आप Edit करना चाहें तो Edit बटन पर Click कर Edit कर लें तथा Save & Continue पर Click करें। प्रथम् चरण पूर्ण होने पर आपका आवेदन पत्र का Review दिखाई पड़ेगा। अभी भी यदि आप Edit करना चाहें तो Edit बटन पर Click कर Edit कर लें तथा Lock Application पर Click कर अंतिम रूप से अपना आवेदन लॉक करें।

तृतीय चरण :– Application Fee Payment :– Application Fee Payment :– Payment पर Click करें। Payment पर Click करने के उपरान्त Bank Collect का स्क्रीन आयेगा। स्क्रीन पर दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

Successfully भुगतान करने के उपरान्त वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in पर "Online Application for PECE – 2019" link पर Click कर "Applicant login" पर Sign In कर अपना आवेदन पत्र Print कर लें तथा Print out निकाल कर सुरक्षित रख लें। **प्राप्त आवेदन पत्र (confirmation page) को पर्षद कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है,** परन्तु इसकी उपयोगिता भविष्य में होगी।

....

अनुसूची – 'क'

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

3198
18-04-2016

संकल्प

विषय : **"झारखंड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा एवं पहचान।**

स्थानीय व्यक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर दो जनहित याचिकाओं डब्लू0पी0(पी0आई0एल0) 4056/2002 एवं 3912/2002 में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय खंड पीठ द्वारा सुनवाई के बाद दिनांक 27.11.2002 को निरस्त कर दिया गया और "स्थानीय व्यक्ति" को पुनः परिभाषित करने तथा स्थानीय व्यक्ति की पहचान के लिए दिशा निदेश गठित करने के मामले में सरकार से निर्णय लेने की अपेक्षा की गई।

2. राज्य सरकार द्वारा स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा एव पहचान के मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों, सामजिक संगठनों से गहन विचार विमर्श के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि झारखंड का स्थानीय निवासी वैसे भारतीय नागरिक को माना जाएगा जो निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लिखित शर्त पूरी करता हो, :-

(i) झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो एवं स्वयं अथवा पूर्वज के नाम गत सर्वे खतियान में दर्ज हो। भूमिहीन के मामले में उसकी पहचान संबंधित ग्राम सभा द्वारा की जाएगी, जो झारखंड में प्रचलित भाषा, संस्कृति एवं परम्परा पर आधारित होगी।

(ii) किसी व्यापार, नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत 30 वर्ष या अधिक अवधि से निवास करता हो एवं अचल सम्पत्ति अर्जित की हो या ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति/संतान हो एवं झारखंड में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

(iii) झारखंड राज्य सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित/ मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगम आदि में नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी/ कर्मचारी या उनकी पत्नी/ पति/ संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

(iv) भारत सरकार का पदाधिकारी/ कर्मचारी जो झारखंड राज्य में कार्यरत हो या उनकी पत्नी/ पति/ संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

(v) झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक या विधिक (statutory) पदों पर नियुक्त व्यक्ति या उनकी पत्नी/ पति/ संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

(vi) ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म झारखंड राज्य में हुआ हो तथा जिसने अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर तक की पूरी शिक्षा झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो एवं झारखण्ड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

आदेश : आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

18.4.16

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.– 3198 /रॉची, दिनांक 18-04-1

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजे।

18.4.16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.– 3198 /रॉची, दिनांक 18-04-2

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.4.16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.– 3198 /रॉची, दिनांक 18-04-2

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.4.16

सरकार के प्रधान सचिव।

अनुसूची – 'ख'

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार के पत्र संख्या – 14/स्थानीयता नीति–14–03/2016 का0 4650, दिनांक 02 जून 2016 के आलोक में झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का प्रारूप

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या :–   दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति श्री .... पता – ग्राम/वार्ड/शहर .... पो0 .... थाना .... जिला .... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या – 3198 दिनांक 18.04.2016 की कंडिका – .... में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :–

दिनांक :–

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

अनुसूची – 'ग'

प्रपत्र–1

झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि ....
पिता .... पति ....
(विवाहित महिला के मामले में) ग्राम/नगर .... जिला/प्रमंडल ......
.... राज्य/संघशासित प्रदेश .... झारखंड राज्य में यथा अनुमोदित अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अधीन .... जाति/उपजाति के सदस्य हैं तथा .... धर्म को माननेवाले हैं।

2. .... तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखंड राज्य के ग्राम/नगर .... जिला/प्रमंडल .... में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व–घोषणा पर आधारित है।

ख. जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है :

i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/ सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी

ii) अंचल अधिकारी

ग. बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पांचवीं और छठी अनुसूची द्वारा यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिये) तथा संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जनजातियों के लिये) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा गठित झारखंड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये) के लिये आरक्षण अधिनियम 2001 ।

स्थान ....
तिथि ....

हस्ताक्षर ....
पदनाम ....
कार्यालय के सील सहित

प्रपत्र - IV

FORM OF CASTE CERTIFICATE TO BE ISSUED TO PERSONS BELONGING TO A SCHEDULED CASTE OR SCHEDULED TRIBES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that .... Son/ Daughter of .... Wife of .... (in case of married woman) of Village/ Town...District/Division*..............................of the State/Union Territory ....belongs to .... Caste/Sub Caste under Scheduled Tribes/Schedule Caste which is approved as Scheduled Tribe/Caste for the State of Jharkhand and professes .... Religion.

2. ....* and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town* ....District/Division* of the State/Union Territory* of Jharkhand.

3. This certificate is valid till further orders or till any change made in SC/ST caste list for Jharkhand State.

Note :

(a) The term 'ordinarily reside' (s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950 and the place is mentioned on the basis of self-declaration by the applicant.

(b) The authorities competent to issue the caste certificate are indicated below:

(i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Additional Deputy Commissioner /Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate /Executive Magistrate/ Assistant Collector and Assistant Magistrate

(ii) Circle Officer

(c) Caste/Sub Casts enumerated in Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act -2001, as amended by the fifth and sixth schedule under section 23 and 24 respectively of Reconstitution of Bihar Act, 2000 the Constitution of (Scheduled Castes) Amendment Order, 1950 and Amendment (Schedule Tribes) Amendment Order, 1950 and Schedule Castes and Schedule Tribes Order (Amendment) Act 2002.

Signature....................................

Designation ....

(with seal of office)

Place......................

Date.......................

अनुसूची – 'घ'

प्रपत्र – 11

झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिये अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि .... पिता .... पति .... (विवाहित महिला के मामले में) ग्राम/नगर .... जिला/प्रमण्डल .... , राज्य/संघशासित प्रदेश .... , ... जाति के सदस्य हैं, जो झारखंड रिक्तियों और पदों के लिये आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम 2001 के अधीन पिछड़े वर्ग (अनुसूची–I और II) के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा ये .... धर्म को माननेवाले हैं।

2. .... तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखंड राज्य के ग्राम/नगर .... जिला/प्रमंडल .... में निवास करता है/करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक 36012/22/93–स्था (एस.इ.टी.), दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तंभ–3 में उल्लिखित तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं. 3482, दिनांक 10.06.2002 द्वारा यथा अंगीकृत के अधीन क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93–स्था (एस.इ.टी.), दिनांक 08.09.1993 के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रमाणित आवेदक तथा उसकी/उसके माता–पिता द्वारा किये गये घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगा। किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वघोषणा पत्र (फार्म संख्या–15) संलग्न करने पर इस प्रमाण पत्र की वैद्यता स्वघोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

स्थान ....
तिथि ....

हस्ताक्षर ....
पदनाम ....
कार्यालय के सील सहित

प्रपत्र - XI

FORM OF NON-CREAMY LAYER CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY EXTREMELY BACKWARD CLASSES/ BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION TO STATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that .... Son/ Daughter of .... Wife of .... (in case of married woman) of Village/ Town........................ ....District/Division*........................... ....of the State/Union Territory ....belongs to the .... Caste which is recognized as Backward Class under : Backward Class (Annexure-I/II) of Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act - 2001 *** and professes .... Religion.

2. ....* and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town* ....District/Division* of the State/Union Territory* of Jharkhand.

3. This is also to certify that he/she does not belong to the Persons/Sections (Creamy layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the OM No. 36012/22/93-Esst (SCT) dated 08-09-1993 of Department of Personnel and Training, Government of India as adopted by the Department of Personnel, Administrative Reforms and Official languages vide Resolution No-3482 dated 10.06.2002.

4. This certificate is issued on the basis of declaration made by applicant and his/her parents in terms of rule of exclusion enumerated in OM No. 36012/22/93-Esst (SCT) dated 08-09-1993 and is valid for one year from the date of issue. This certificate will, however, be valid if it is enclosed with current declaration of being non-creamy layer, for the financial year in which such declaration is made in the form-15 specified for the purpose.

Signature.......................................

Designation ....

Place.......................

(with seal of office)

Date.......................

अनुसूची – 'ड.'

7

परिशिष्ट–I

Government of Jharkhand

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No.____________________ Date:_____________

VALID FOR THE YEAR__________

This is certify that Shri/Smt./Kumari__________________________ son/daughter/wife of ________________________ permanent resident of ____________________________ village/Street_________________________ post Office ____________________ District _______________________ in the State/Union Territory Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her 'family** is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year ____________. His/her family does not own or possess any of the following assests***:

I. 5 acres of agricultural land and above;
II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari __________________________ belongs to the ____________ caste which is not recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and OBC/ EBC-I/BC-II.

Signature with seal of office____________________

Name ______________________________

Designation _______________________

Recent Passport size attested Photograph of the applicant

*Note1:. Income covered all sources i.e. salary. business, profession, etc.

**Note2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation. his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

***Note3: The property held by a "Family" in different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.